कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2012 / 1818-II / 11236-264 दिनांक 23 मार्च 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 28 फरवरी, 2012 को अपरान्ह 4.00 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये:–

एजेण्डा संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 23 मई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में अवगत कराया गया कि गत बोर्ड की बैठक दिनांक 23 मई, 2011 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। जो सभी सदस्यों को प्राप्त हो चुका है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैक दिनांक 23 मई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज / अण्डरपास के निर्माण के लिए की गयी कार्यवाही पर चर्चा।

गत बैठक दिनांक 23 मई, 2011 में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में निम्नानुसार रेलवे ओवरब्रिज / अण्डरपास निर्माण किये जाने की प्रकिया विचाराधीन है:–

1– रेलवे क्रॉसिग सी–160 (बनाड) पर आर.ओ.बी. निर्माण
2– रेलवे क्रॉसिग सी–168 (आर.टी.ओ.रोड) पर आर.ओ.बी. निर्माण
3– रेलवे क्रॉसिग सी–165 (सारण नगर) पर आर.ओ.बी. निर्माण
4– रेलवे क्रॉसिग सी–18 (माणकलाव) पर आर.ओ.बी. निर्माण
5– रेलवे क्रॉसिग सी–2 (पावटा बी रोड) पर आर.यू.बी. निर्माण
6– रेलवे अण्डरब्रिज बी–71 (डी.आर.एम. कार्यालय) पर चार लेन आर.यू.बी. निर्माण
7– रेलवे क्रॉसिंग सी–7 (भदवासिया) पर आर.ओ.बी. निर्माण

बाद विचार विमर्श बैठक में उपस्थित सहायक कमिश्नर पुलिस यातायात को निर्देशित किया गया कि ओवरब्रिज / अण्डरपास के निर्माण के समय वैकल्पिक यातायात के संबध में रूट का चिन्हिकरण कर व्यवस्था कर अवगत करावें।

बैठक में इस संबध में अवगत कराया गया कि भदवासिया रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कम में वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था की जा चुकी है।

एजेण्डा संख्या 3 :: प्राधिकरण द्वारा प्रमुख सडक मार्गों की चौडाईकरण व सुदृढीकरण के दौरान वैकल्पिक यातायात व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श।

बैठक मे 18 प्रमुख सडक मार्गो की चौडाईकरण व् सुदृढीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इनमे से 12 प्रमुख सडकों की निविदा जारी की जाकर निविदा प्राप्त की जाकर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

उन पर निर्णय लिया जाकर संवेदको को कार्यादेश जारी किये जा चुके है। बाद विचार विमर्श गत बैठक में उपस्थित सहायक कमिश्नर पुलिस यातायात को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा करवाये जाने वाले उपरोक्त चौडाईकरण व सुदृढीकरण के कार्य के दौरान वैकल्पिक यातायात के संबध में रूट का चिन्हिकरण कर व्यवस्था कर अवगत करावे।

बैठक में अवगत कराया गया कि आवश्यकतानुसार वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था की जा रही है।

एजेण्डा संख्या 4 :: शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्राफिक सिंग्नल लाईट्स लगाये जाने एवं ऑपरेशनल किये जाने के संबंध में विचार विमर्श

बैठक में सहायक कमिश्नर पुलिस यातायात ने अवगत कराया कि 8 स्थानों पर ट्राफिक लाईट लगी हुई है। उनमें से सोजतीगेट चौराहे, शनिश्चर जी मंदिर के पास तथा अमृतादेवी सर्कल पर ऑपरेशनल है। बैठक में यह भी अवगत कराया कि उक्त लाईटे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगायी गयी है तथा समुचित रूप से देखभाल तथा उचित तालमेल नहीं होने से उक्त लाईटो के संचालन में काफी परेशानी आ रही है।

बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि शहर में मौजूद ट्रैफिक सिंग्नल लाईट्स को अविलम्ब चैक कराकर सही कराने हेतु अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित करें।

बैठक में उपस्थित सहायक पुलिस आयुक्त–यातायात को निर्देशित किया गया कि शहरः में जिन स्थानों पर वर्तमान में ट्रैफिक सिग्नल लाईट लगी हुई है। उनके संचालन में कोई कठिनाई हो तो अवगत करायें। यह भी निर्देशित किया गया कि जिन नये स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लाईट लगायी जानी है उनमें से प्राथमिकता के तौर पर दो स्थानो का चयन अविलम्ब कर अवगत करायें।

एजेण्डा संख्या 5 :: प्राधिकरण क्षेत्र में प्राईवेट वाहन व स्टेज केरिज वाहनों के बस स्टेण्ड व शहर में आवागमन के मार्गों के संबंध में चर्चा।

बोर्ड की गत बैठक में अवगत कराया गया कि निजी वाहनों के लिए बनाड़ रोड पर कल्याणसिंह कालवी प्याऊ पर बस स्टेण्ड निर्धारित है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि रसाला रोड ओवरब्रिज के नीचे किसी भी स्थिति में बसें खडी नहीं रहे। यातायात पुलिस द्वारा प्रस्ताव आने पर उस स्थान पर एंगल लगाकर अवरोधक भी बना दिये जावे। स्टेज केरिज वाहनों के लिए काजरी परिसर के बाहर प्राधिकरण द्वारा बस स्टेण्ड विकसित कर दिया गया है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से काजरी परिसर के बाहर विकसित बस स्टेण्ड को स्टेज केरिज बसों के लिए बस स्टेण्ड के रूप में उक्त स्थान को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जावे कि बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के बाहर की ओर एवं शहर के अन्य मुख्य सडक मार्गों पर स्टेज केरिज बसे खडी नहीं रहे।

बैठक में अवगत कराया गया कि कालवी प्याऊ पर बसों का संचालन हो रहा है तथा पानी की सुविधा विकसित करने की आवश्यकता है। अतः अध्यक्ष महोदय ने प्राधिकरण की ओर से उक्त बस स्टेण्ड पर पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्याऊ निर्मित करवायी जावे।

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि काजरी परिसर के बाहर विकसित बस स्टेण्ड पर बसों का आवागमन रात्रि के समय होता है। अतः दल्ले खा की चक्की पर संचालित होने वाली बसों को काजरी परिसर के बाहर से संचालित की जावे।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

एजेण्डा संख्या 6 :: पाली, बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर मार्गों की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के लिए सेटेलाईट बस स्टेण्ड बनाये जाने के संबध में विचार विमर्श

बैठक में पाली, बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर मार्गों की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के लिए सेटेलाईट बस स्टेण्ड बनाये जाने के संबध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि पाली रोड के लिए विवेक विहार योजना में बस स्टेण्ड का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार नागौर मार्ग के लिए बस स्टेण्ड व केन्द्रीय कार्यशाला बनाये जाने के लिए देसूरिया विश्नोईयां की भूमि चिन्हित की गयी है। राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड के अधिकारी भी उक्त भूमि के चयन से सहमत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अध्यक्ष महोदय ने बाड़मेर व जैसलमेर मार्ग के लिए भी सेटेलाईट बस स्टेण्ड के लिए स्थान चिन्हित किये जाने के निर्देश प्रदान किये तथा इस संबंध मे कार्यवाही शीघ्र कराने के आदेश प्रदान किये।

एजेण्डा संख्या 7 :: बी.आर.ओ. बाईपास पर ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा

बैठक में बी.आर.ओ. बाईपास पर ओवरब्रिज के निर्माण की प्रगति के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि बी.आर.ओ. निर्माण कार्य वर्तमान मे प्रगति पर है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक मे सीमा सडक कृतिक बल के अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने हेतु सूचित करें।

एजेण्डा संख्या 8 :: जोधपुर शहर को पोल लेस सिटी बनाये जाने के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में जोधपुर शहर को पोल लेस सिटी बनाये जाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त उक्त कार्य में प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने जिन क्षेत्रों/सडकों को पोल लेस किया जाना है, उन क्षेत्रों/सडकों की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, यातायात पुलिस को आपस में भिजवायी जाने हेतु निर्देशित किया।

एजेण्डा संख्या 9 :: शहर में भारी वाहन के प्रवेश हेतु मार्ग व समय निर्धारण तथा भीतरी शहर में वाहनों के नो-एण्ट्री प्रावधान के संबध में चर्चा।

बैठक में भारी वाहनों के शहर में नो-एण्ट्री के संबंध में विचार विमर्श के दौरान सहायक कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय पूर्व में ही निर्धारित है। बाद विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव हो तो लिखित मे प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये।

एजेण्डा संख्या 10 :: यातायात के दबाव वाले प्रमुख सडक मार्गों के लिए वैकल्पिक सडक मार्ग का चिन्हिकरण व सुदृढीकरण।

गत बैठक में शहर मे यातायात के दबाव वाले प्रमुख सडक मार्गों को चिन्हित करने के संबंध मे विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देश दिये कि जालोरीगेट से बाईजी का तालाब से सोजतीगेट होते हुए नई सडक तक वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण करें और उक्त मार्गों पर एक तरफा यातायात करने एवं सोजतीगेट से रेलवे स्टेशन होते हुए एक तरफा यातायात किये जाने

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। इसके लिए यदि कतिपय स्थानों पर भूमि या भवन की अवाप्ति करना आवश्यक हो तो उसे भी चिन्हिकृत किया जावे। इस संबंध में रिपोर्ट दिनांक 31 मई, 2011 से पूर्व प्रस्तुत की जावे ताकि बोर्ड की आगामी बैठक में इस संबंध में ठोस निर्णय लिया जा सके।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जालोरीगेट से नई सड़क तथा पावटा तकिया का निर्माण प्राधिकरण द्वारा शीघ्र अति शीघ्र करवाने के निर्देश प्रदान किये।

एजेण्डा संख्या 11 :: मल्ट्रीस्टोरी पार्किंग की कार्य योजना व कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा।

बैठक में मल्टीस्टोरी पार्किंग के संबंध में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा इस संबंध में कार्य योजना बनायी गयी है तथा बी.ओ.टी. आधारित निविदा भी जारी की जाकर टेक्निकल बिड व वित्तीय बिड प्राप्त की जा चुकी है।

बैठक मे सरदारपुरा बी रोड पर पार्किंग की समस्या के कारण होने वाले यातायात जाम के मद्देनजर निर्णय लिया गया कि गांधी मैदान तथा निर्मित दुकानों के मध्य भूमि पर वाहनों की पार्किंग प्रारम्भ की जावे। इसी प्रकार राजरणछोड़ जी मंदिर परिसर में पड़ी रिक्त भूमि पर वाहनों की पार्किंग हेतु देवस्थान विभाग से सम्पर्क कर योजना बनायी जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग की समस्या के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर पास जर्जर स्थिति में निर्मित निर्माणो को हटाकर यहां पर अण्डरग्राउण्ड बहुमंजिली पार्किंग की कार्य योजना बनायी जावे तथा इस हेतु रेलवे को पत्र लिखा जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

एजेण्डा संख्या 12 :: फुट ओवरब्रिज के निर्माण की प्रगति की समीक्षा

बैठक में फुट ओवरब्रिज के निर्माण के संबध में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा इस संबंध में कार्य योजना बनायी गयी है तथा बी.ओ.टी. आधारित निविदा भी जारी की जाकर टेक्निकल बिड व वित्तीय बिड प्राप्त की जा चुकी है। बाद विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय ने फुट ओवरब्रिज के निर्माण कर बी.ओ.टी. आधार पर संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश प्रदान किये।

एजेण्डा संख्या 13 :: कचरा संग्रहण वाहनों व उनके निर्धारित रूट्स की पहचान के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में कचरा संग्रहण वाहनों व उनके निर्धारित रूट्स की पहचान के संबंध में विचार विमर्श कर कचरा संग्रहण वाहनों के रूट व समय निश्चित करने के लिए बैठक में नगर निगम की ओर से उपस्थित उप नगर नियोजक को निर्देश दिये गये।

एजेण्डा संख्या 14 :: बी.आर.टी.एस. बस व्यवस्था को सुदृढ किये जाने के संबंध में चर्चा।

बैठक में इस संबंध मे अवगत कराया गया कि बी.आर.टी.एस. बस व्यवस्था सुदृढ किये जाने के लिए नये रूट्स अधिसूचित किये जा चुके है। बैठक में बाद विचार विमर्श आगामी बैठक में बी.आर.टी.एस. के अधिकारी को उपस्थित होने हेतु सूचित करने का निर्णय लिया गया ताकि इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर समुचित निर्णय लिया जा सके।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

एजेण्डा संख्या :: यातायात पुलिस को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा
15 यातायात अवरोधक मास्क, कैन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे चर्चा

बैठक में अवगत कराया गया कि यातायात पुलिस के पास वर्तमान में यातायात अवरोधक मास्क, कैन व अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि किसी सामग्री की आवश्यकता होगी तो आगामी बैठक/या उससे पूर्व अवगत करा दिया जावेगा।

एजेण्डा संख्या :: कमला नेहरू कॉलेज के सामने सड़क की चौड़ाई का विस्तार
16 करने के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में सचिव ने अवगत कराया कि कमला नेहरू कॉलेज के सामने सड़क की चौड़ाई का विस्तार करने के संबंध में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता हुई और रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने कमला नेहरू कॉलेज की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के नक्शे की मांग की गयी थी जो उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है। आयुक्त महोदय ने इस संबंध में रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में वांछित प्रगति कराने हेतु निर्देशित किया ताकि निर्माण सुचारू रूप से पूरा हो सके।

एजेण्डा संख्या :: कम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति के
17 संबंध में चर्चा

(i) जंक्शन इम्प्रुवमेंट

(ii) हॉकर्स को व्यवस्थित करना व अतिक्रमण हटाना

(iii) वन-वे एवं प्रतिबंधित प्रवेश वाले मार्गों का निर्धारण

(iv) पेड-पार्किंग व्यवस्था प्रारम्भ करना

(v) टैक्सी स्टेण्ड का निर्धारण

(vi) बहुमंजिली इमारतों में पार्किंग सुविधा की अनिवार्यता

(vii) जोधपुर शहर में सी.एन.जी. वाहनों के संचालन की अनिवार्यता बाबत विचार विमर्श।

बैठक में कम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति के क्रम में जंक्शन इम्प्रुवमेंट, हॉकर्स को व्यवस्थित करना व अतिक्रमण हटाना, वन-वे एवं प्रतिबंधित प्रवेश वाले मार्गों का निर्धारण, पेड-पार्किंग व्यवस्था प्रारम्भ करना, टैक्सी स्टेण्ड का निर्धारण, बहुमंजिली इमारतों में पार्किंग सुविधा की अनिवार्यता एव जोधपुर शहर में सी.एन.जी. वाहनों के संचालन की अनिवार्यता बाबत विचार विमर्श किया गया। बैठक में इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

एजेण्डा संख्या :: कल्पतरू क्षेत्र में संविदा यात्री बसों के ठहराव बाबत। (पुलिस
18 उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र क्रमांक य-2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 /141 दिनांक 18 जनवरी, 2012 के क्रम में)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने पत्र कमांक य–2 ( ) जोध/ पु. उपा.मु. एवं याता./12 /141 दिनांक 18 जनवरी, 2012 द्वारा अवगत कराया कि जोधपुर शहर में संविदा यात्री बसों के विभिन्न जगह खड़े रहने से होने वाले यातायात अवरोध के निदान के लिए इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अधिसूचना जारी कर काजरी के पास संविदा यात्री बसों के लिए ठहराव स्थल अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया था। दिनांक 17 जनवरी, 2011 को संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में हुई यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में संविदा यात्री बसों के प्रतिनिधि श्री जगदेवसिंह खालसा ने सुझाव दिया कि संविदा यात्री बसें काजरी से रवाना होने के पश्चात् यात्रियों की सुविधा को देखते हुए शास्त्रीनगर थाने से 12वीं रोड चौराहा होते हुए कल्पतरू की तरफ होकर पुनः गन्तव्य हेतु प्रस्थान करें तथा कल्पतरू से यात्रियों को बैठाने हेतु ठहराव दिया जावे। उक्त क्षेत्र आवासीय होने, अस्पताल एवं बरकतुल्लाह खां स्टेडियम तथा रावण का चबूतरा मैदान होने से उक्त स्थान पर धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आयोजन होते रहते है, जिससे यातायात व्यस्त रहता है। अतः संविदा यात्री वाहनों को कलपतरू के पास ठहराव दिया जाना उचित है अथवा नहीं? इस संबंध में टिप्पणी भिजवायें।

बैठक में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के उक्त पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2012 के कम में विस्तृत विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर को सूचित किया जावे कि कलपतरू के पास ठहराव दिया जाना उचित नहीं हैं। साथ ही पुलिस उपायुक्त को काजरी से बसों का संचालन सख्ती से संचालित करने हेतु पत्र लिखने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 19	::	गतिसीमा के संबंध में (पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य--2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 342-43 दिनांक 16 जनवरी, 2012 के कम में)

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने अपने पत्र कमांक य–2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 342-43 दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा अवगत कराया कि जोधपुर शहर में जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश कमांक न्यायिक/याचिका/2001/ 3403 दिनांक 16 जनवरी, 2001 द्वारा समस्त प्रकार के वाहनों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रतिघन्टा निर्धारित की गयी है। वर्तमान में शहर के विस्तार तथा सडकों की स्थिति के मध्यनजर वाहनों की गति सीमा में संशोधन किया जाना है। अतः उक्त आदेश में संशोधन हेतु सुझाव/टिप्पणी भिजवायी जावे।

बैठक में पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य--2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 342-43 दिनांक 16 जनवरी, 2012 पर विचार, विमर्श कर सर्व सम्मति से शहर परकोटे के अन्दर 25 किलोमीटर प्रति घण्टा तथा शहर परकोटे से बाहर 40 किलोमीटर प्रति घण्टा गति निर्धारित करने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 20	::	बोम्बे मोटर्स चौराहे के पास स्थित बाडा में बसों के ठहराव बाबत। (पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य--2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 142 दिनांक 18 जनवरी, 2012 के कम में)

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने अपने पत्र कमांक य--2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 142 दिनांक 18 जनवरी, 2012 द्वारा अवगत कराया है कि जोधपुर से जैसलमेर मार्ग पर संचालित बस ऑपरेटर्स द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में बोम्बे मोटर्स चौराहे के पास स्थित बाड़े से बसो का संचालन निरन्तर जारी रखने का निवेदन किया गया है, जबकि यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से काफी व्यस्त क्षेत्र है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

13 के अनुसार गठित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों के अनुसार उक्त स्थान से बसों का संचालन जारी रखना उचित है अथवा नहीं? इस संबंध में टिप्पणी भिजवायी जावे।

बैठक में पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र क्रमांक य–2 ( ) जोध / पु.उपा.मु. एवं याता. / 12 / 142 दिनांक 18 जनवरी, 2012 पर विचार विमर्श कर इस संबध में टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सचिव प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्राधिकरण की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति इस संबध में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा संख्या 21 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पार्किंग व्यवस्था के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना के संदर्भ में। (अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एव महानगर मोबाईल मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर का पत्र क्रमांक 473 दिनांक 15 फरवरी, 2012 के क्रम में)

अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एव महानगर मोबाईल मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर ने अपने पत्र क्रमांक 473 दिनांक 15 फरवरी, 2012 द्वारा अवगत कराया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जोधपुर यातायात व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमे जोधपुर में प्राईवेट बसो के पार्किंग की जगह के संबंध मे महेन्द्र लोढा बनाम स्टेट ऑफ राजसीन के फैसले के पैरा नम्बर 14 में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें

1– मैन पाली रोड से आने वाली बसो का सुलभ कॉम्पलेक्स नियर न्यू केम्पस,
2– शास्त्रीसर्कल से न्यू पावर हाऊस रोड जी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय के समानान्तर
3– मैन बालोतरा रोड से पावर हाऊस की तरफ आने वाली बसों को काजरी के बाहर
4– आखलिया चौराहे की तरफ से आने वाली बसों का कमला नेहरू नगर सेक्टर ए एक्सटेंसन 1 आऊट साईड बस स्टेण्ड नियर रेलवे लाईन
5– जयपुर, भोपालगढ, नागौर रोड से आने वाली बसों के लिए कल्याणसिंह कालवी प्याऊ के पास रेलवे लाईन के समानान्तर

उक्त पार्किंग के अलावा अन्य जगह पर पार्किंग नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाकर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कराये जावे, जिससे आम जन को होने वाली असुविधा कम हो सकेगी तथा जोधपुर शहर का आयागमन सुचारू रूप से जारी रखा जा सकेगा तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा सकेगी।

एजेण्डा संख्या 22 :: नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 व 5–ए चांदपोल से मण्डोर (के.के. फिलिंग स्टेशन) एवं एयरफोर्स से मण्डोर (औद्योगिक क्षेत्र) की सिटी बसों का संचालन मण्डलनाथ फांटा तक वृद्धिकरण करने के संबध में।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक परि / 11 / 10272 दिनांक 28 फरवरी, 2012 द्वारा सूचित किया है कि मण्डोर से चांदपोल सिटी बस एसोसिएशन, जोधपुर के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2012 के संदर्भ में नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 व 5–ए चांदपोल से मण्डोर (के.के. फिलिंग स्टेशन) एवं एयरफोर्स से मण्डोर (औद्योगिक क्षेत्र) की संचालित सिटी बसों के परमिट धारकों ने वृद्धिकृत हेतु मार्ग को दईजर, मण्डनाथ फांटा तक बढाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्रांक एसपीए / सचिव / 2012 / 189 दिनांक 6 फरवरी, 2012 द्वारा दईजर एव मण्डनाथ फांटा का मास्टर प्लान वर्ष 2003–2023 बना हुआ बताया जाकर उक्त क्षेत्र नगर विकास न्यास, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(यू.आई.टी.) के क्षेत्र में सम्मिलित बताया गया है। अतः जनहित में नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 एवं 5-ए चांदपोल से मण्डोर (के.के. फिलिंग स्टेशन) एवं एयरफोर्स से मण्डोर (औद्योगिक क्षेत्र) की सिटी बसों का मार्ग दईजर, मण्डलनाथ फांटा तक बढाने का प्रस्ताव पारित कराने का श्रम करावें।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के उक्त पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2012 पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक में पत्र में प्रस्तुत प्रस्ताव को पारित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :: नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 36 के संबंध में।
23

बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि नगरीय सेवा मार्ग संख्या 36 के संचालित वाहन स्वामियों परमिटधारकों द्वारा निवेदन किया गया है कि उप शासन सचिव (मु), राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, जयपुर के आदेश कमांक 5153 दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 के द्वारा नगरीय परियहन सेवा मार्ग सिवांची चौराहा (डी.पी.एस.) से आयुध हनुमान बनाड़ रेलवे कॉसिंग तक खोला गया। जिसके बाबत् में वाहन स्वामियों परमिटधारको द्वारा सर्किट हाऊस से राईकाबाग बस स्टेण्ड के ऊपर ओवरब्रिज होते हुए पावटा सर्कल होकर वापसी आवेरब्रिज होते हुए संचालन की स्वीकृति प्रदान की जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कम में पारित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/1818-II/11236-264 दिनांक 23 मार्च, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. पुलिस उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
11. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
12. मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
14. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

11236-264
23/3/2012

15. उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, मुख्यालय/पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
18. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
19. तहसीलदार, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
20. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
21. महाप्रबन्धक (प्रशासन), रा.रा.प.नि., जोधपुर।
22. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जो.वि.वि.नि.लि., जोधपुर।
23. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
24. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को उक्त कार्यवाही विवरण को अंकन वेब-साईट पर करने हेतु प्रेषित है।
25. --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

11236-264

23-3-2012

परिशिष्ट-1

दिनांक 28 फरवरी, 2012 को अपरान्ह 4.00 बजे श्री रतन लाहोटी, जोधपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.स.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	श्री हरिप्रसाद पिपरिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
3.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री मनीष अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री रामलाल, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री एन.के. बंसल, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री सी.एस. पारासर, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
8.	श्री यू.एस. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, (सी.आर.पी.), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9.	श्री ओ.पी. बैरवा, महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री जीवन खां, अति. पुलिस आयुक्त (यातायात) पश्चिम, जोधपुर
11.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री दिलीप लाम्बा, प्रतिनिधि, जोधपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जोधपुर
13.	श्री प्रवीण कुम्भट, सचिव, जोधपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जोधपुर
14.	श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता-नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
15.	श्री आलोक मालवीय, अधिशाषी अभियन्ता-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री के.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता-प्राजेक्ट-प्रथम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री रमेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता-विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor